



बिहार विधान परिषद्

210वां मॉनसून सत्र

तारांकित प्रश्न

25 जुलाई 2025

[शिक्षा - विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा - तकनीकी शिक्षा - खान एवं
भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा - खेल].

कुल प्रश्न 36

पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली

***120** डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

क्या मंत्री, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद सृजित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पदों पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ही नियुक्ति का प्रावधान है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रहित में महाविद्यालयों में वर्षों से रिक्त पुस्तकालयध्यक्षों के पद पर नियुक्ति करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

गोलघर का जीर्णोद्धार

***121 श्री मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना का प्रसिद्ध गोलघर दशकों से मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के कारण दर्शकों के लिए खोला नहीं जा सका है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना आनेवाले पर्यटकों के लिए गोलघर एक प्रमुख आकर्षण का केन्द्र है परन्तु यहां आने पर उन्हें निराशा हाथ लगती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोलघर का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कराकर दर्शकों के लिए शीघ्र खोलना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

मध्याह्न भोजन योजना में NGO को खाना बनाने पर रोक

***122 श्रीमती शशि यादव (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में खाना बनाने का काम रसोइयां करती थी हैं परन्तु हाल के समय में सरकार द्वारा मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिम चंपारण, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, गया, जहानाबाद, किशनगंज, खगड़िया, बेगूसराय कटिहार, रोहतास, आदि सहित 29 जिलों के 11 हजार सरकारी विद्यालयों में केंद्रीकृत किचेन के माध्यम से खाना बनाने का काम NGO द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि MDM से NGO को बाहर करने की राज्य की कई रसोइया

संगठन बारंबार मांग करते आ रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार केंद्रीकृत किचेन के माध्यम से NGO को खाना बनाने के कार्य पर रोक लगाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कलाकारों के हित में आदेश

***123 श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना शहर के फ्रेजर रोड पर अवस्थित ललित कला केन्द्र की कला दीर्घा, लिफ्ट, पेयजल, हॉल आदि की व्यवस्था अत्यंत लचर एवं दयनीय स्थिति में है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र में कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारियों पर कतिपय माफिया, दलाल एवं बिचौलिया कलाकारों का दबाव बना रहता है, इस कारण राज्य सरकार की कला योजनाओं का ठीक से कार्यान्वयन नहीं हो पाता है;

(ग) क्या यह सही है कि इन दलालों की पैठ इतनी जबर्दस्त है, कि कलाकारों के नाम पर लिए गए अनुदान का भुगतान भी कलाकारों को नहीं किया जाता है और कोई भी अधिकारी इसका हिसाब-किताब नहीं रखते;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ललित कला केन्द्र को मुक्त कराकर राज्य में कलाकारों के हित में एक स्वस्थ माहौल बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

वेतन विसंगति को दूर कबतक

***124 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि लंबे अरसे से कार्यरत नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालयध्यक्ष को

सक्षमता परीक्षा के उपरान्त अपने मूल विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देते हुए जिला संवर्ग में विलय किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2015 में भी इन शिक्षकों को नियत वेतन के स्थान पर अनुशंसित वेतनमान देने का निर्णय लिया गया एवं पूर्व की गई सेवा के लिए प्रत्येक तीन वर्ष की सेवा के लिए एक वार्षिक वेतन वृद्धि दिया गया;

(ग) क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को पूर्व की सेवा गणना किए बिना वेतन भुगतान प्रारम्भ किया गया है, जिससे पुनः वेतन विसंगति की समस्या उत्पन्न हो गई है;

(घ) यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए उनके पूर्व की गयी सेवा की गणना करते हुए वेतन विसंगति की समस्या दूर करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

***125 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा के अकबरपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत लेदहा के ग्राम चपरेहट महादलित टोला में बच्चों को पढ़ने के लिए प्राथमिक विद्यालय नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि विद्यालय नहीं रहने के कारण बच्चों को करीब दो कि०मी० दूरी तय कर प्राथमिक विद्यालय गजिया या नाद गाँव जाना पड़ता है, जिसके कारण बच्चों के साथ-साथ उनके परिजनो को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम चपरेहट के महादलित परिवार के बच्चों का भविष्य को देखते हुए प्राथमिक विद्यालय का अधिष्ठापन कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रोत्साहन राशि का भुगतान कबतक

***126 श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सरकार के निर्णय अनुसार स्नातक उत्तीर्ण सभी छात्राओं को 50-50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि अबतक स्नातक उत्तीर्ण 05 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सरकारीकरण का दर्जा

***127 डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सुपौल जिले में एक भी सरकारी महिला कॉलेज नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय सुपौल में एक मात्र संबद्धता (affiliated) प्राप्त महिला काॅलेज, सत्येन्द्र नारायण सिंह महिला कॉलेज है, जिसमें हजारों छात्राये नामांकित है;

(ग) क्या यह सही है कि सत्येन्द्र नारायण सिंह महिला कॉलेज, सुपौल अंगीभूत होने की सारी अर्हता रखता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सत्येन्द्र नारायण सिंह महिला कॉलेज सुपौल को अंगीभूत (सरकारीकरण) करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्राथमिक विद्यालय का निर्माण

***128 डा. उर्मिला ठाकुर (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिला के गढ़पुरा प्रखंड के दुनही पंचायत के अंतर्गत रक्सी टोला में लगभग 1200 आबादी रहने के बावजूद प्राथमिक विद्यालय नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम से 3 किलोमीटर की दूरी पर अन्य प्राथमिक विद्यालय स्थापित है, जिससे छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियों पठन-पाठन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित स्थान पर इसी वित्तीय वर्ष में प्राथमिक विद्यालय स्थापित कर पठन-पाठन चालू करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पुराने मानक मंडल के परिवर्तन पर विचार

***129 प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार की द्वितीय सरकारी भाषा उर्दू की प्रगति एवं उन्नति के लिए वर्तमान राज्य सरकार बहुत गंभीर एवं प्रयासरत है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में द्वितीय राजभाषा उर्दू को उर्दूभाषी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य विषय के रूप में पढाया जाता रहा है तथा यह विषय पढाने के लिए उर्दू शिक्षक की नियुक्ति भी अनिवार्य की गई थी;

(ग) क्या यह सही है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति हेतु बहुत पहले से तय मानक मंडल में विभाग द्वारा अनावश्यक छेड़-छाड़ करके परिवर्तन कर दिया गया है कि अब उर्दू शिक्षक की नियुक्ति की अनिवार्यता ही समाप्त हो गई है;

(घ) क्या यह सही है कि पुराने मानक मंडल में इस तरह के परिवर्तन की कोई

आवश्यकता ही नहीं थी जिससे उर्दू प्रभावित हो तथा सरकार की बदनामी हो;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मानक मंडल में 6+1 के बजाए 7+1 जोड़कर उर्दू के साथ भेदभाव एवं अन्याय खत्म करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

वेतन-निर्धारण

***130 प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मो० जहीर सेवानिवृत्त प्र०अ० रा०म०वि० लौरिया को जिला शिक्षा पदाधिकारी, प० चम्पारण (बेतिया) ने अपने ज्ञापांक-2949, दिनांक 21.09.2023 से स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में 30 वर्षों की लगातार सेवा उपरान्त MACP 30 वर्ष का लाभ दिया है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, प०चंपारण ने ग्रेड-पे 5400=00 में पे-लेवल 09 में वेतन-निर्धारण का आदेश दिया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इनके वेतन-निर्धारण करने का निर्देश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

विद्यालय का भवन निर्माण

***131 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला के आरा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत राजकीय संस्कृत विद्यालय मझौवां का भवन जर्जर होकर ध्वस्त हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में शिक्षकों के अभाव में विद्यार्थियों का पठन-पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र हित में उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने तथा शिक्षकों के पदस्थापन का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अधिसूचना जारी कब तक

***132 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जयनगर के पत्रांक-1081/(अनु), दिनांक 16 अगस्त, 2024 द्वारा नगर पंचायत के 8 किलोमीटर परिसीमा में अवस्थित 93 विद्यालयों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को प्रेषित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि इन 93 विद्यालयों के शिक्षकों को नियमानुसार 8 प्रतिशत की दर से आवास भत्ता मिलना है परन्तु जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा पिछले छह महीना से इस संबंध में अधिसूचना निर्गत नहीं की गई है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन 93 विद्यालयों के शिक्षकों को आवास भत्ता अधिसूचना जारी होने की तिथि से बकाया राशि की भुगतान करते हुए लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

विद्यालय का संविलयन

***133 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग, पटना के अधिसूचना संख्या-380, दिनांक 17.02.2025 के निर्देशानुसार पी०एम० श्री योजना अंतर्गत जिला के 10 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया जाना है एवं नजदीकी 10 माध्यमिक विद्यालयों

को उच्च माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध किया जाना है;

(ख) क्या यह सही है कि अरवल जिला में करपी प्रखण्ड में + 2 हाई स्कूल करपी के साथ कन्या मध्य विद्यालय करपी को संबद्धित किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है;

(ग) क्या यह सही है कि जिलाधिकारी अरवल द्वारा मध्य विद्यालय करपी का संविलियन किया गया था परंतु दिशा निर्देश से हटाकर त्रिसदस्यता टीम के द्वारा कन्या मध्य विद्यालय करपी का संविलियन कर दिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्रामीण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कन्या मध्य विद्यालय के स्थान पर मध्य विद्यालय करपी का संविलियन करना चाहती हैं, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अनुकंपा पर नौकरी

***134 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में अनुकंपा पर नौकरी प्राप्त करने के लिए आश्रितों को कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि अनुकंपा पर नौकरी मिलने में देरी होने से आश्रित परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय चूरी, नगर प्रखंड गया के सहायक शिक्षक स्वर्गीय, रणजीत कुमार के आश्रितों को सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर लेने के लगभग 2 वर्ष से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अनुकंपा पर नौकरी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुकंपा पर नौकरी देने की प्रक्रिया का त्वरित निष्पादन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

विद्यालय का कमरा निर्माण

***135 श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अंतर्गत पुनपुन प्रखंड के उत्कर्मित मध्य विद्यालय बेलदारीचक का अधिकांश कमरा ध्वस्त हो चुका है, जिससे पठन-पाठन का कार्य बाधित हो रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त विद्यालय बेलदारीचक का कमरा निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

खेल मैदान का निर्माण

***136 श्री कार्तिक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, पटना):**

क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिले के मनेर नगर परिषद अंतर्गत सरकारी स्तर पर कोई समुचित खेल मैदान उपलब्ध नहीं है, जिससे क्षेत्र के युवाओं एवं छात्र-छात्राओं को खेल संबंधी गतिविधियों के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि नगर परिषद वार्ड संख्या 23 में पीर स्थान के निकट खेल मैदान हेतु पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मनेर नगर परिषद में खेल मैदान का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

स्थानांतरण कबतक

***137 श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षकों का स्थानांतरण विभाग द्वारा बीते दिनों में किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम असाध्य व गंभीर रोग ग्रसित, दिव्यांग, विधवा, पति-पत्नी के पदस्थापन के आधार पर जैसे श्रेणी का स्थानांतरण हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि “ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण” श्रेणी के आलोक में अपने गृह जिला से दूर पदस्थापित सभी कोटि के अधिकांश महिला शिक्षिका का स्थानांतरण नहीं हो पाया है तथा पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण में विभाग द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है, जिससे शिक्षकों में सरकार के प्रति असंतोषजनक भावना एवं रोष व्याप्त है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अपने गृह जिला या निवास स्थान से दूर पदस्थापित महिला/ पुरुष शिक्षक जिन्होंने स्थानांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन किया है, उनका स्थानांतरण एक निर्धारित दूरी का पैमाना बनाकर अविलंब करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

विद्यालयों की भूमि का रिकॉर्ड

***138 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सरकारी विद्यालयों के पास उपलब्ध भूमि का रिकॉर्ड अब शिक्षा विभाग द्वारा संधारित किया जाएगा तथा पूर्व में रिकॉर्ड के अभाव में अनेक विद्यालय परिसरों की भूमि पर स्थानीय नागरिकों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उपलब्ध भूमि का अद्यतन रिकॉर्ड रखने से अतिक्रमित भूमि को चिन्हित कर पुलिस-प्रशासन की सहायता से खाली कराया जाएगा, जिससे विद्यालयों के भवन निर्माण अथवा खेल मैदान आदि के विकास में सुविधा होगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी विद्यालयों की उपलब्ध भूमि का रिकॉर्ड अद्यतन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक?

मेडल लाओ नौकरी पाओ

***139 श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार द्वारा दिनांक - 02.06.2025 को उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति हेतु औपबन्धिक सूची का प्रकाशन किया गया था परंतु उक्त प्रकाशन में हैंडबॉल खेल के खिलाड़ियों को वंचित रखा गया है;

(ख) क्या यह सही है कि 2023- 24 में हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वधान में बिहार हैंडबॉल संघ द्वारा आयोजित 52वीं सीनियर मेन्स हैंडबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार टीम को स्वर्ण पदक जीता था एवं नौकरी हेतु बिहार सरकार में आवेदन भी किया था;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के पदाधिकारियों द्वारा जानबूझ कर हैंडबॉल के खिलाड़ियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है एवं नौकरी से वंचित कर प्रताड़ित किया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार हैंडबॉल के खिलाड़ियों को भी "मेडल लाओ नौकरी पाओ" के अंतर्गत नियुक्ति सूची में शामिल करने का विचार रखती हैं, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

शिक्षकों की पदस्थापना

***140 श्री बिनोद कुमार जयसवाल (स्थानीय प्राधिकार, सीवान):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सिवान सदर प्रखण्ड में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टड़बा है;

(ख) क्या यह सही है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टड़बा में प्रधानाध्यापिका के अलावा अन्य कोई शिक्षक की पदस्थापना नहीं की गयी है;

(ग) क्या यह सही है कि शिक्षक नहीं रहने के कारण पठन-पाठन कार्य बाधित है;

(घ) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षकों की पदस्थापना करने की मंशा रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

स्टेडियम का निर्माण

***141 श्री दिलीप कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड मुख्यालय में स्थित गांधी मैदान बदहाल स्थिति में है तथा प्रखंड मुख्यालय जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर आज तक किसी भी प्रकार का स्टेडियम उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि गांधी मैदान ही गोह प्रखंड मुख्यालय का एकमात्र सार्वजनिक खेल स्थल है, जिसका उपयोग वर्षों से स्थानीय युवाओं द्वारा दौड़, पीटी, खेल अभ्यास एवं प्रतियोगिताओं के लिए किया जाता रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार गांधी मैदान का पूर्ण सौंदर्यीकरण (जैसे रनिंग ट्रैक, घेराबंदी, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था आदि) कराने हेतु कोई योजना बना रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोह प्रखंड मुख्यालय में एक पूर्ण विकसित स्टेडियम निर्माण कराना चाहती है तथा सरकार द्वारा गांधी मैदान की जर्जर स्थिति का कोई भौतिक मूल्यांकन या निरीक्षण कराया गया हो तो रिपोर्ट में क्या अनुशंसा की गई है, यदि हां तो कबतक?

विद्यालय को अतिक्रमण से मुक्त

***142 श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है की मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी प्रखंड के परकौली पंचायत के प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मोतरा (बरही) का जमीन अतिक्रमित है;

(ख) क्या यह सही है की उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित आवेदन लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधुबनी एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपट्टी के आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी बेनीपट्टी द्वारा नापी कराया गया जिसमें जमीन अतिक्रमित पाया गया लेकिन फिर भी अंचल अधिकारी बेनीपट्टी द्वारा अब तक अतिक्रमण खाली नहीं कराया गया;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को खाली कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नेट उर्तीण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता

***143 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन सं. एल.एन.एम.आई. 01/2024 प्रकाशित किया गया है जिसमें यू.जी.सी. नेट उर्तीण अभ्यर्थियों को निर्धारित योग्यता में कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि यू.जी. पी.जी. में 60 प्रतिशत मानक में ईबीसी. एवं बीसी. को 5 प्रतिशत की छुट नहीं दी गई तथा मैनेजमेंट विषय में शिक्षण अनुभव यूजीसी एवं ए.आई.सी.टी.ई. के अनुसार अनिवार्य न कर ऐच्छिक कर दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि मैनेजमेंट विषय में सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मानदंडों को बढ़ाया गया है लेकिन कम्प्यूटर विषय में ए.आई.सी.टी.ई. मानकों का फौलो नहीं किया गया है, तथा मैनेजमेंट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में भाग

लेने से वंचित किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रकाशित विज्ञापन में यू.जी.सी. नेट उर्तीण अभ्यर्थियों को निर्धारित योग्यता में प्राथमिकता देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

विद्यालय का भवन निर्माण

***144 श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत आजमनगर प्रखंड के जलकी पंचायत के कदमगाछी प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण हुए तीन दशक से अधिक हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि कदमगाछी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई वर्ग 1 से 5 तक होती है, भवन के जर्जर होने की सूचना प्रधानाध्यापक द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों को दी जा चुकी है;

(ग) क्या यह सही है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, आजमनगर द्वारा 28.05.2024 से विद्यालय भवन के निर्माण होने तक दूसरे गांव के विद्यालय में सम्बद्ध का आदेश दिया गया है, जो कदमगाछी गांव से तीन की0 मी0 दूर है और छोटे-छोटे बच्चों को विद्यालय आने जाने में कठिनाई होती है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कदमगाछी प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण इसी वर्ष कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अभ्यर्थियों का शीघ्र योगदान

***145 श्री वंशीधर ब्रजवासी (स्नातक तिरहुत):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति के प्रथम चरण TRE-1 के पूरक

परिणाम में सफल NIOS के माध्यम से प्रशिक्षित कुल-122 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना के कार्यालयीय ज्ञापांक - 1454, दिनांक-27.05.25 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया है; (ख) क्या यह सही है कि उक्त आदेश के माध्यम से इन अभ्यर्थियों से उनके प्रशिक्षण पूर्व निजी संस्थानों में शिक्षण के दौरान विद्यालय प्रबंधन से प्राप्त वेतन से संबंधित बैंक स्टेटमेंट की बेतुकी मांग कर दी गई है, जबकि इसी परीक्षा के मुख्य परिणाम के माध्यम से सफल 20 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का योगदान कराया जा चुका है और उनसे इस प्रकार के किसी भी अभिलेख की मांग नहीं की गई क्योंकि नियुक्ति से संबंधित प्रकाशित किए गए विज्ञापन में इस प्रकार का अभिलेख उपलब्ध कराने संबंधी किसी प्रकार की शर्त नहीं रखी गई थी;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अनावश्यक अभिलेख की मांग वाले आदेश को निरस्त करते हुए इन 122 अभ्यर्थियों के योगदान हेतु कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों नहीं?

इ.पी.एफ. खाते में राशि जमा कबतक

***146 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक) :**
प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव(स्नातक सारण) :

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सूबे के अधिकांश जिलों में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन मद से ईपीएफ मद में राशि की कटौती तो की जा रही है, लेकिन इ.पी.एफ. खाते में राशि जमा नहीं किया जा रहा है। जैसे-राजकीयकृत कमल साह उच्च माध्यमिक विद्यालय, नौतन (पश्चिम चम्पारण) के शिक्षक नन्दकिशोर प्रसाद यादव की EPF राशि माह फरवरी 2021 से अप्रैल 2024 तक EPF खाता में जमा नहीं है;

(ख) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी

***147 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राजकीय कन्या इंटर विद्यालय, नवादा, प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय, नवादा, इंटर विद्यालय रोह तथा इंटर विद्यालय हिसुआ के विद्यालय में छात्रों की संख्या अधिक परंतु शिक्षाको की संख्या कम रहने के कारण विद्यार्थियों को सभी विषयों की पढ़ाई नहीं हो पाती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ा दिया जाय तो विद्यार्थियों को सभी विषयों की पढ़ाई हो सकेगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यार्थियों के हित में उक्त विद्यालय में शिक्षाको की संख्या बढ़ाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कठोर कार्रवाई

***148 श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

दिनांक- 10.06.2025 को "दैनिक भास्कर" समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक "आर्यभट्ट विवि में कांट्रैक्ट पर 76 वैकेंसी, 2.5 लाख में बिक रही असिस्टेंट की नौकरी" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में अनुबंध के आधार पर 03 साल के लिए 76 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक- 03.05.2025 को अलग-अलग पद हेतु नियुक्ति का ठेका प्राइवेट एजेंसी एलीट फाल्कन्स प्रा०लि० को दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि प्राइवेट एजेंसी द्वारा चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति हेतु 2.11 लाख रूपए एवं सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु 2.5 लाख रूपए नाजायज राशि ली जा

रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस अनियमितता में सम्मिलित विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं प्राइवेट एजेंसी के शीर्ष अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सेवा सामंजन कबतक

***149 डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालय में स्व-वित्त पोषित बी० एड० विभाग (शिक्षा शास्त्र विभाग) पिछले 13 वर्षों से मानव संसाधन विभाग बिहार सरकार के संकल्प से संचालित है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार के ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों से हजारों छात्र शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षित होकर सरकारी सेवा में कार्यरत है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालयों में चल रहे बी० एड० विभाग में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मियों की सेवा सामंजन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

पदाधिकारियों की प्रोन्नति

***150 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी प्रमंडलों में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के पद वर्षों से रिक्त हैं;

(ख) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के पद शिक्षा सेवा वर्ग-एक का पद है, जो शिक्षा सेवा के पदाधिकारी की प्रोन्नति से भरे जाते हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी प्रमंडलों में शिक्षा सेवा के ही पदाधिकारियों की प्रोन्नति के द्वारा पदों को भरना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

छात्रावास चालू कबतक

***151 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अरवल जिला अंतर्गत करपी पंचायत में +2 बालिका छात्रावास हैं;

(ख) क्या यह सही है कि यह बालिका छात्रावास बहुत दिनों से बंद हैं, जिससे छात्राओं को छात्रावास उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं;

(ग) यही उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार +2 बालिका छात्रावास को अविलम्ब चालू कराना चाहती हैं, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

रिजल्ट प्रकाशित

***152 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका Civil Appeal 7873 /2023 दिनांक 10. 12.2024 में पारित आदेश के द्वारा NIOS के माध्यम से 18 महीने का DLED धारण करने वाले अभ्यर्थियों को TRE 02 के लिए मान्यता प्रदान की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त आदेश के आलोक में बीपीएससी द्वारा TRE 02 में ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है जबकि TRE 01 का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायादेश के आलोक में बीपीएससी द्वारा TRE 02 में ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

नियुक्ति कबतक

***153 श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के संस्कृत विद्यालयों में वर्ष 2015 के बाद शिक्षकों व अन्य पदों की नियुक्ति नहीं हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के अधिकतर संस्कृत विद्यालयों का भवन जर्जर स्थिति में है तथा इन विद्यालयों में आधारभूत संरचना का घोर अभाव है;

(ग) क्या यह सही है कि संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों व अन्य पदों पर नियुक्ति नहीं होने के कारण कई विद्यालय शिक्षक विहीन व आधारभूत संरचना के घोर अभाव के कारण बंद होने के कगार पर हैं;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों व अन्य पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति एवं आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

स्टेडियम में आधुनिक सुविधा

***154 श्री बिनोद कुमार जयसवाल (स्थानीय प्राधिकार, सीवान):**

क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सीवान जिला के महाराजगंज अनुमण्डल में एक इनडोर स्टेडियम का निर्माण हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि इनडोर स्टेडियम में आधुनिक सुविधा नहीं रहने के कारण स्टेडियम का उपयोग खेल-कूद प्रतियोगिता के लिए नहीं हो पा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि महाराजगंज अनुमण्डल के युवा एवं युवती को स्टेडियम का

लाभ नहीं मिल रहा है;

(घ) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्टेडियम में आधुनिक सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पेंशन नियमित भुगतान

***155 प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार के समस्त कॉलेज एवं विश्वविद्यालय प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों को समय पर पेंशन की राशि मिल जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि कॉलेज एवं विश्वविद्यालय प्राध्यापक एवं कर्मचारियों का पेंशन वित्त विभाग द्वारा आवंटन पर आधारित होने तथा विश्वविद्यालय पदाधिकारियों की निष्क्रियता के कारण पेंशन की रकम का भुगतान कभी भी एक निश्चित समय पर नहीं होता है, जिस कारण पेंशनभोगियों को गृह की किस्त चुकाने, चिकित्सीय खर्च तथा अपने भरण-पोषण के कार्यों में काफी दिक्कत होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस समस्या के प्रति संवेदनशील है तो अन्य विभागों की तरह कॉलेज तथा विश्वविद्यालय कर्मचारियों का पेंशन नियमित तथा स-समय भुगतान कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पटना - 800015.

25 जुलाई, 2025.

अखिलेश कुमार झा,
सचिव, बिहार विधान परिषद्